GCMS - 2025/345

APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........ मुकाम ....कोटा........

........रतन बाई........ बनाम ....सरकार........

किस्म मुकदमा ....L R Act - 136........ नं. ....56.... सन् ....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारां 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया रतन बाई की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 8/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 1/7/25	
8/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया रतन बाई की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डोल्या पटवार हल्का डोल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता सं0 47 पुराना सं0 35 पर खसरा नं0 134, 609, 610, 611, 817, 818, 819, 838, 840, 842, 86 की कुल 11 किता की 8.41 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थीया का 49/192 हिस्सा दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम पिता के इंतकाल खुलने पर दर्ज किया गया है। तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से रतना पुत्री कान्हा दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रतन बाई पुत्री कान्हा है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम रतन बाई अंकित है इस कारण राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम रतना पुत्री कान्हा के स्थान पर रतन बाई पुत्री कान्हा दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम डोल्या पटवार हल्का डोल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता सं0 47 पुराना सं0 35 पर खसरा नं0 134, 609, 610, 611, 817, 818, 819, 838, 840, 842, 86 की कुल 11 किता की 8.41 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रतना पुत्री कान्हा के स्थान पर रतन बाई पुत्री कान्हा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। पटवारी हल्का डोल्या से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का द्वारा पस्तुत रिपोर्ट में कथन किया है कि प्रार्थीया का नाम सहवन से रतना पुत्री कान्हा जमाबंदी में क्र0 सं0 11 पर दर्ज है। जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजो (आधार, जनआधार आदि) में रतन बाई है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र का अवलोकन किया गया। दस्तावेज एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि रतना पुत्री कान्हा एवं रतन बाई पुत्री कान्हा एक ही महिला है। प्रार्थीया रतन बाई द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम डोल्या में खाता सं0 47 पुराना सं0 35 पर खसरा नं0 134, 609, 610, 611, 817, 818, 819, 838, 840, 842, 86 की कुल 11 किता की 8.41 है0 भूमि में रतना पुत्री कान्हा के स्थान पर रतना उर्फ रतन बाई दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 8/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 8/7/25	

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा